न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 13.08.2021

अपील संख्या 2021/103

उनवान

पार्वतीबाई उम्र 58 वर्ष पत्नि शिवचरण पुत्री रघुनाथ, जाति तेली, निवासी फतेहपुर हाल निवासी चरीघाट रोड़ लंका कॉलोनी, बारां, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– गिर्राज उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री रघुनाथ
2– कौशल्या बाई उम्र 53 वर्ष बेवा अमरलाल
3– योगेश उम्र 28 वर्ष पुत्र अमरलाल
4– ललित उम्र 26 वर्ष पुत्र अमरलाल
5– चन्द्रकला उम्र 24 वर्ष पुत्री अमरलाल
6– कृष्णा उम्र 22 वर्ष पुत्री अमरलाल
जातिगण तेली, निवासीगण ग्राम फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राज0)
7– चतुर्भुज पुत्र श्री रघुनाथ, जाति तेली, निवासी फतेहपुर मृतक
7/1– अजय उम्र 24 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भुज
7/2– निर्मल उम्र 9 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भुज नाबालिग बविलायत माता मनभर
7/3– अशिका उम्र 22 वर्ष पुत्री श्री चतुर्भुज
7/4– विजेता उम्र 20 वर्ष पुत्री श्री चतुर्भुज
7/5– मनभर उम्र 45 वर्ष बेवा स्व0 श्री चतुर्भुज
जातिगण तेली, निवासीगण ग्राम फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राज.)
8– कंचन बाई उम्र 57 वर्ष पुत्री श्री रघुनाथ पत्नि श्री जोधराज, जाति तेली, निवासी फतेहपुर हाल निवासी ग्राम ईश्वरपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां
9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

दायरा दिनांक : 13.08.2021

अपील संख्या 2021/104

उनवान

पार्वतीबाई उम्र 58 वर्ष पत्नि शिवचरण पुत्री रघुनाथ, जाति तेली, निवासी फतेहपुर हाल निवासी चरीघाट रोड़ लंका कॉलोनी, बारां, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– गिर्राज उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री रघुनाथ
2– कौशल्या बाई उम्र 53 वर्ष बेवा अमरलाल
3– योगेश उम्र 28 वर्ष पुत्र अमरलाल
4– ललित उम्र 26 वर्ष पुत्र अमरलाल
5– चन्द्रकला उम्र 24 वर्ष पुत्री अमरलाल
6– कृष्णा उम्र 22 वर्ष पुत्री अमरलाल
जातिगण तेली, निवासीगण ग्राम फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राज0)
7– चतुर्भुज पुत्र श्री रघुनाथ, जाति तेली, निवासी फतेहपुर मृतक
7/1– अजय उम्र 24 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भुज
7/2– निर्मल उम्र 9 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भुज नाबालिग बविलायत माता मनभर
7/3– अशिका उम्र 22 वर्ष पुत्री श्री चतुर्भुज
7/4– विजेता उम्र 20 वर्ष पुत्री श्री चतुर्भुज
7/5– मनभर उम्र 45 वर्ष बेवा स्व0 श्री चतुर्भुज
जातिगण तेली, निवासीगण ग्राम फतेहपुर, तहसील व जिला बारां (राज.)

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8– कंचन बाई उम्र 57 वर्ष पुत्री श्री रघुनाथ पत्नि श्री जोधराज, जाति तेली, निवासी फतेहपुर हाल निवासी ग्राम ईश्वरपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां .... रेस्पोडेंट

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री बी.एल.जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा रेस्पोडेंट की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.06.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या – 123/2014. निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.03.2015 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 25.05.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट गिर्राज ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी के शामलाती खाते की आराजीयात वाके माल फतेहपुर, तहसील बारां में खाता सं. नयी 467 में अंकित खसरा नं. 850 रकबा 0.11 हेक्टर आराजी स्थित है तथा इसी प्रकार वाके माल फतेहपुर, तहसील बारां में खाता सं. 9 पुरानी 5 में अंकित शामलाती खातेदारी की आराजीयात खसरा नं. 353 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नं. 360 रकबा 1.27 हेक्टर, खसरा नं. 844 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 847 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नं. 851 रकबा 0.15 हेक्टर कुल 5 किता रकबा 2.19 हेक्टर आराजीयात स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बारां ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.03.2015 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 25.05.2015 वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2021/103 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवचन न करके भारी भूल की है। वादग्रस्त भूमियों में अपीलांट का 1/5 हिस्सा बतौर खातेदार कृषक दर्ज था जिसको बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये अधीनस्थ न्यायालय ने विलोपित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई बिना अपीलांट को सूचना दिये दिनांक 17.12.2014 को अपीलांट की उपस्थिति बता कर आर्डर 6 रूल 17 का प्रार्थना पत्र लेकर दावा संशोधित कर दिया तथा पत्रावली सबूत वादी में डाल दी, इस समय भी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई तथा दिनांक 23.03.2015 को अपीलांट की गैर मौजूदगी में निर्णय पारित कर दिया जिसकी भी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई रिकॉर्ड देखे निर्णय पारित किया है क्योंकि जिन खसरा नम्बरान का बंटवारा चाहा गया था उन खसरा नम्बरान के समस्त काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। प्रदर्श 2 जो हक त्याग पत्र अपीलांट को बताया गया है वह फर्जी व बनावटी है जो मात्र पब्लिक नोटेरी से

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रमाणित होना बताया, जबकि हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.03.2015 निरस्त फरमायी जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तथा जिन भूमियों का बंटवारा चाहा जा रहा है, उस भूमि के सभी खातेदारों को पक्षकार बनाकर दोबारा सुनवायी का अवसर दिया जावे।

अपील संख्या 2021/104 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवचन न करके भारी भूल की है। वादग्रस्त भूमियों में अपीलांट का 1/5 हिस्सा बतौर खातेदार कृषक दर्ज था जिसको बिना कानूनी प्रकिया अपनाये अधीनस्थ न्यायालय ने विलोपित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व नियम 8 से 18 की पालना नहीं की है क्योंकि वक्त बंटवारा खातेदारान को सूचना नहीं दी गई और ना ही खातेदारी की सहमति ली गई क्योंकि अपीलांट भी एक सहखातेदार थी तथा उसका सूचना नहीं देकर बिना सूचना दिये जो बंटवारा व अंतिम डिक्री जारी की है वह खिलाफ कानून है। जिन भूमियों का बंटवारा हुआ है उन भूमियों के समस्त खातेदारान को सूचना नहीं दी गई और ना ही पक्षकार बनाया गया है। अंतिम डिक्री में छीतरलाल पुत्र श्री श्रीलाल धाकड़ माथना को भी भूमि दी है किन्तु उसको भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बनाया और ना ही उसको कोई सूचना दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई रिकॉर्ड देखे निर्णय पारित किया है क्योंकि जिन खसरा नम्बरान का बंटवारा चाहा गया था उन खसरा नम्बरान के समस्त काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। प्रदर्श 2 जो हक त्याग पत्र अपीलांट को बताया गया है वह फर्जी व बनावटी है जो मात्र पब्लिक नोटेरी से प्रमाणित होना बताया, जबकि हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2015 निरस्त फरमायी जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर तथा जिन भूमियों का बंटवारा चाहा जा रहा है, उस भूमि के सभी खातेदारों को पक्षकार बनाकर दोबारा सुनवायी का अवसर दिया जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.07.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. (29) 2022 पेज 218, आर.बी.जे. 2019 पेज 101 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांटा द्वारा दिनांक 23.03.2015 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर बारां के प्रकरण संख्या 123/2014 बउनवान गिर्राज बनाम अमरलाल

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वगैरा की अपील सन् 2021 में प्रस्तुत की है, जो मियाद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांटा द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए देरी का कोई उपर्युक्त कारण नहीं बताया गया है जबकि लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत जानकारी से अपील प्रस्तुत होने का समुचित कारण दिया जाना आवश्यक है। अपीलांटा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार थी तथा उसकी ओर से जर्ये अभिभाषक पैरवी की गई थी तथा अपीलांटा ने अपनी स्वैच्छा से प्रकरण में अपने हिस्से का हकत्याग रेस्पोडेंट गिर्राज के पक्ष में कर दिया था तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त हकत्याग को मान्यता दी इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय पारित किया था जो विधि सम्मत निर्णय था जिसकी जानकारी अपीलांटा को वर्ष 2015 से ही थी इसके बावजूद अपीलांटा द्वारा उक्त अपील पेश की गई है जो गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांटा द्वारा अपनी अपील की मद नं. 6 में यह उज्र लिया है कि उपरोक्त प्रकरण में छीतरलाल पुत्र श्रीलाल धाकड को पक्षकार नहीं बनाया जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलांटा व रेस्पोडेंटगण जाति से तेली है तथा सहखातेदार के रूप में छीतरलाल पुत्र श्रीलाल धाकड को पक्षकार नहीं बनाया गया चूंकि वाद में विभाजन मात्र परिवार के व्यक्तियों का होना था इस कारण छीतरलाल पुत्र श्रीलाल धाकड आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण तथा जमाबंदी में सहखातेदारों की संख्या अधिक होने के कारण सहवन से उक्त नाम छूट गया जिसकी आपत्ति लेने का अपीलांटा को कोई अधिकार नहीं है। छीतरलाल पुत्र श्रीलाल धाकड द्वारा आज दिनांक तक भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विभाजन को चुनौती नहीं दी गई है तथा ना ही अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस बाबत कोई आपत्ति पेश की है। इस कारण अपीलांटा द्वारा की गई अपील सारहीन, बलहीन व रेस्पोडेंट को परेशान व जेरबार करने के उद्देश्य से पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद राजस्व मण्डल के प्रावधानों के अनुसार धारा 18 – 21 की पालना कर रेस्पोडेंट गिर्राज के पक्ष में विधि सम्मत इंतकाल तस्दीक किया गया है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांटा की अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.12.2014 में यह लिखा गया कि "वकील वादी व प्रतिवादी उप0। प्रतिवादी कम 3 व 4 ने अपने हक त्याग पत्र पेश किये जो शा. फा. किये गये। वकील वादी का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 6 रूल 17 पेश कर दावे में उक्त हक त्याग को दर्शाते हुए संशोधन करना चाहते हैं। वकील प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र ऑर्डर 6 रूल 17 स्वीकार किया जाता है। वकील वादी संशोधित वाद पेश करें। पत्रावली पेश होने संशोधित वाद एवं सबूत वादी में होकर दिनांक 26.12.2014 पेश हो।" वकील प्रतिवादी के वकालतनामे का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि उक्त वकालतनामा योगेश, चतुर्भुज, ललित, कृष्णा तथा चन्द्रकला की ओर से पेश किया गया। सम्मन तामील की स्थिति देखने से प्रकट होता है कि सम्मन तामील प्रतिवादी कम 1, 2, 5 को कराये गये। प्रतिवादी कम 3 व 4 को सम्मन तामील नहीं कराये गये। आदेशिका दिनांक 17.12.2014 में लिखा गया कि प्रतिवादी कम 3 व 4 ने अपने हक त्याग पेश किए जो शामिल फाईल किये गये, जबकि आदेशिका पर हस्ताक्षर केवल वादी गिर्राज के हैं, इससे यह प्रकट होता है कि उक्त हक त्याग पत्र दिनांक 17.12.2014 को वादी गिर्राज द्वारा पेश किये गये।

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त हक त्याग पत्र मात्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है। हमारी राय में हक त्याग पत्र का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। रजिस्टर्ड हक त्याग के बिना मात्र नोटेरी प्रमाणित हक त्याग से विवादित आराजी खातेदारों के नाम से विलोपित करना त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन तामील भी नहीं कराना त्रुटिपूर्ण है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनना आवश्यक था, जो सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 25.05.2015 की आदेशिका के अनुसार कम सं. 4 पर छीतरलाल पुत्र श्रीलाल की आराजी का भी बंटवारा किया गया है, जबकि उसे दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि यह आज्ञापक प्रावधान है कि जिस पक्षकार की भूमि का विभाजन किया जाये उसे आवश्यक रूप से सुना जावे। इसी प्रकार खसरा सं. 848 व 849 का भी बंटवारा किया गया है जबकि इन खसरा नम्बरान का अनुतोष दावे में नहीं चाहा गया।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत होने से अपास्त किया जाता है। हक त्याग विलेख समुचित रूप से मुद्रांकित व रजिस्टर्ड नहीं होने की स्थिति में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किये जा सकते। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2021/103 एवं 2021/104 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.03.2015 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 25.05.2015 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को पुनः सुनवायी का समुचित अवसर देकर जवाब प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीवार, साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 20/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा